

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या एस0 ओ0, संख्या-...../रा0, पटना दिनांक

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम करहरी, परगना हावी, थाना बहेड़ा, थाना नं0 143/2, अंचल-बेनीपुर, जिला-दरभंगा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्-एस0एच0-88 वरुणापुल (एन0एच0-103) से रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त गाँव-करहरी के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 2.53 एकड़ के बराबर होता है और जिसमें 2.465 एकड़ आवासीय एवं 0.065 एकड़ रास्ता है। ली जाने वाली भूमि का खेसरा नं0 निम्नलिखित है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

अंश खेसरा - 03, 24, 25, 36, 248, 23, 22, 37, 38, 221, 237, 236, 247, 245, 244, 246, 79

पूर्ण खेसरा - X

चौहद्दी :-


- उ0 - सीमाने श्रीपुर जगत
- द0 - सीमाने बेनीपुर
- पू0 - खे0नं0-01, 23, 221 अंश वगैरह
- प0 - खे0नं0-36, 01, 237 अंश वगैरह


यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 की धारा 4 (चार) के उपबंधो के अधीन जैसा कि (बिहार अधिनियम, 11,1961 द्वारा यथा संशोधित) एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इन से संबंध हो।


उक्त भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगाके कार्यालय में देखा जा सकता है।


बिहार सरकार भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे प्रबन्धक, (तक0) बिहार स्टेट रोड डेभलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, पी0आई0यू0, हाजीपुर सम्प्रति समस्तीपुर के पदाधिकारीयों एवं स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियमों की (धारा)-4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।


और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के भूमियों पर लागू नहीं होंगे।


अर्मीन,


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
दरभंगा।



अपर समाहर्ता,
दरभंगा।


समीहर्ता,
दरभंगा।


अवर सचिव,
बिहार सरकार।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, दरभंगा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।